न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः— उम्मेदी लाल मीना आर.ए.एस.

निगरानी सं. 17 / 2017

1. हाकमसिहं पुत्र हरदमसिहं जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया।
2. जंगसिहं पुत्र हरदमसिहं जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया।
3. मिठूसिंह पुत्र हरदमसिहं जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्रामपंचायत इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जरिये सरपंच ग्रामपंचायत इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया।
2. हरनेकसिहं पुत्र जीवनसिहं जाति जटसिंख निवासी वार्ड न. 2 भगतराम की समाधी के पास इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. बलजीतसिहं पुत्र हरनेकसिहं जाति जटसिंख निवासी वार्ड न. 2 भगतराम की समाधी के पास इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. जगजीतसिहं पुत्र हरनेकसिंह जाति जटसिंख निवासी वार्ड न. 2 भगतराम की समाधी के पास इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

अप्रार्थीयान

निगरानी विरूध आवंटन एक प्लाट न. 60 दिनांक 11.04.88 ग्राम पंचायत इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया कि जिससे ग्राम इन्द्रगढ़ मे प्लाट न. 60 में से 982 दरगज जगह बिना कीमतन मन्जूर करने का मिथ्या इन्द्राज किया गया को निरस्त किये जाने के लिए।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

उपस्थितः— 1. श्री दिनेश शर्मा अभिभाषक निगरानीकर्ता।
2. श्री राजीव कुलश्रेष्ठ सं0 02 ता 04

—:निर्णयः—

दिनांकः —25.11.2024.

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/ निगरानीदार की ओर से इस प्रकार है कि प्रार्थीयान ग्राम पंचायत इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया के स्थाई निवासी है तथा ग्राम इन्द्रगढ तहसील संगरिया ग्राम में स्थाई रूप से पंचायत बनी हुई है, पहले ग्राम इन्द्रगढ़ की यह पंचायत किशनपुरा तहसील संगरिया थी अब ग्राम पंचायत इन्द्रगढ़ बन गई है। अप्रार्थी न. 1 के द्वारा अप्रार्थी न. 2 की दिवंगत पत्नि नसीबकोर के नाम से विधी— विरूध मिथ्या इन्द्राज एक प्लाट न. 60 ता. 11/04/88 को ग्राम पंचायत इन्द्रगढ़ तह. संगरिया कि जिससे ग्राम इन्द्रगढ़ मे प्लाट न. 60 मे से 982 दरगज जगह बिना कीमतन मन्जूर किया गया, यह फर्जी रूप से व मिथ्या इन्द्राज रिकार्ड मे किया गया है। नसीबकोर पत्नी हरनेकसिहं पुत्र जीवनसिहं फौत हो गई है जिसका कभी कब्जा इस प्लाट न. 60 पर नही रहा था। नसीबकोर फौत होने के बाद अब इस फर्जी इन्द्राज के आधार पर बतौर अप्रार्थीगण हम प्रार्थीयान के कब्जा में दखल देना चाहते है। अप्रार्थीयान द्वारा मिलीभगत कर 982 दरगज जगह बिना कीमतन मन्जूर करवाने का मिथ्या इन्द्राज रिकार्ड मे किया गया है जो कतई विधि विरूध है। इस स्थल को नसीबकोर के नाम किस आधार पर 982 दरगज जगह [illegible] इन्द्राज किया गया है कहीं भी दर्ज नही है। कोई भी प्लाट का मन्जूर करना [illegible] के मध्य से 40 फुट की सीमा तक जारी नही किया जा सकता [illegible] नही की गई है। उक्त बिना कीमतन मन्जूर करने का इन्द्राज से [illegible] प्रार्थनापत्र प्रस्तुत हुआ ना कोई फीस भरी गई, ना कोई नक्शा बनाया गया, ना कोई नोटिस जारी किये गये, ओबेजेक्शन मांगे गये, ना कोई पंचों की रिपोर्ट हुई, ना ही [illegible]ला पंचायत की कार्यवाही आया, ना ही कोई प्रस्ताव पारित हुआ। मात्र मिथ्या इन्द्राज नसीबकोर के नाम प्लाट दर्ज करने का किया गया है। तत्कालीन सरपंच की फर्जी कार्यवाही लगती है। मुताबिक तत्कालीन कानून बिना कीमतन किसी प्लाट मन्जूर करने का आधार मात्र कारतकार या आर्टीशियन को जो कि उसी ग्राम का हो या हरिजन हो तो उसे मात्र 250 गज तक प्लाट बिना कीमतन

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.12.03 12:14:31 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़

मन्जूर करने का प्रावधान है। इससे अधिक नही, इस प्रकार 982 दरगज जगह बिना कीमतन मन्जूर नही किया जा सकता। मात्र मिथ्या इन्द्राज नसीबकोर के नाम प्लाट दर्ज करने का किया गया है। प्लाट को मन्जूर करने का अनुमोदन पंचायत की मिटिंग में विधिक रूप से नही हुआ। पंचायत की मिटिंग नही हुई, ना ही कोई प्रस्ताव ही पास हुआ। ना ही मूताबिक कानून अन्य किसी भी सक्षम अधिकारी से ही कोई अनुमोदन या स्वीकृत ही करवाया गया। नसीबकोर अत्यन्त धनाडय थी व उसका पति काफी अच्छी हैसियत वाला है। जिनके पास काफी प्लाट व मकान पहले से ही थे व आज भी है। उक्त प्लाट को मन्जूरी का रिकार्ड मे दर्ज करने से पूर्व पंचायत कानून व नियमो की किसी भी प्रकार की कोई पालना नही की गई। मात्र मिलीभगत कर उक्त फर्जी रूप से प्लाट को मन्जूर किया गया है। इस प्रकार उक्त पंचायत कानून व नियम के विरूध होने से काबिल निरस्त के है। यह प्लाट पूर्व से दो व्यक्तियो को अलॉट था, यदि इसमे ही आगे विधी अनुसार किसी को अलाट किया जाता तो हम प्रार्थीयान को अवश्य ही सुनवाई हेतु नोटिस दिया जाता व जवाब देने का अवसर दिया जाता। जिस जगह का प्लाट होता है वहां के लोगो के एतराज मागें जाते, जब कि ऐसा कुछ नही हुआ है। प्रार्थीयान को उक्त प्लाट को मन्जूर करने का मिथ्या रिकार्ड मे दर्ज होने की जानकारी निगरानी पेश करने से मात्र कुछ रोज पूर्व हुई है जब अप्रार्थी न. 2 ता 4 ने इस सम्पति पर निर्माण करने की कोशिश की जिससे विवाद पैदा हुआ तब प्रार्थीयान ने उक्त प्लाट का रिकार्ड देखा तो एक मिथ्या इन्द्राज खसरा दरमियानी आबादी मे नसीबकोर के नाम का मिला जिसकी नकल प्राप्त की और यह निगरानी प्रस्तुत कर रहे है अन्य कोई रिकार्ड नही है।

इस प्लाट न. 60 की कुल जगह 1964 दरगज चार आना है। इस मे से 60/962 दरगज प्रार्थीयान के पिता हरदमसिहं को कीमतन कानूनन मन्जूर किया गया था व इसी प्लाट मे जैसाराम को मन्जूर किया गया था। जैसाराम के फोत होने पर उसके वारीसान ने यह प्लाट आगे करतारसिहं आदि को विक्रय कर दिया था। आधे प्लाट पर प्रार्थीयान के पिता हरदमसिंह का कब्जा था व प्रार्थीयान के पिता हरदमसिहं के फौत होने के बाद अब प्रार्थीयान का कब्जा है। जिसमे दखल की कार्यवाही होने पर प्रार्थीयान को तमाम तथ्यों की जानकारी होने पर यह निगरानी पेश की गयी है। नसीबकोर के फौत होने के बाद अब अप्रार्थीयान ने जबरन निर्माण इस प्लाट मे आरम्भ कर दिया, अब सारा प्लाट कब्जा करना चाहते है। लिहाजा निगरानी प्रस्तुत कर अर्ज किया कि उक्त आवटन एक प्लाट न. 60 तारीख 11/04/88 ग्राम पंचायत इन्द्रगढ़ तह. संगरिया कि जिससे ग्राम इन्द्रगढ़ में प्लाट न. 60 मे से 982 दरगज जगह का बिना कीमतन नसीबकोर के नाम से मन्जूर करने का मिथ्या व गैर कानूनी इन्द्राज किया गया है, को निरस्त किया जावे।

निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीयान की तलबी की गयी। अप्रार्थीयान जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन रिकार्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। निगरानीकर्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि उक्त आवटन एक प्लाट न. 60 तारीख 11/04/88 ग्राम पंचायत इन्द्रगढ़ तह. संगरिया कि जिससे ग्राम इन्द्रगढ़ मे प्लाट न.60 में से 982 दरगज जगह का बिना कीमतन नसीबकोर के नाम से मन्जूर करने का मिथ्या व गैर कानूनी इन्द्राज किया गया है, को निरस्त किया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थीयान संख्या 2 ता 4 ने अपनी बहस के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि प्रार्थीगण की और से यह निगरानी ग्राम पंचायत इन्द्रगढ तहसील संगरिया द्वारा ग्राम इन्द्रगढ में प्लाट नम्बर 60 के सम्बन्ध में जारी [illegible] देते हुये प्रस्तुत की गई है। इस पट्टे में कुल 1964 दरगज में से 982 दरगज [illegible] आधा [illegible] प्रार्थीगण के पिता श्री हरदम सिह तथा आधा भाग जैसाराम [illegible] पत्नी हरनेक सिंह के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा इस निगरानी में पट्टे में 982 दरगज जो कि नसीब कौर के नाम है, को चुनौती देते हुये इस आधा पट्टे को निरस्त करने का अनुतोष चाहा है जबकि विधि अनुसार प्रार्थीगण आधे पट्टे को चुनौती देने के [illegible]कारी नही है। यहा यह भी निवेदन है कि प्रार्थीगण की और से इसी पट्टे के आधार पर अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 व अन्य के विरूद्ध विभाजन का वाद माननीय अपर जिला न्यायाधीश संगरिया के समक्ष दिनांक 21.08.2014 को प्रस्तुत किया गया था इस वाद में प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध बिना विभाजन हुये निर्माण न करने सम्बन्धी अस्थाई निषेधाज्ञा चाही जो कि प्रार्थीगण को अन्तरिम रूप से प्राप्त हुई इस अन्तरिम निषेधाज्ञा के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 3 बलजीत सिंह के द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.12.03 12:14:31 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष एस.बी. सिविल विविध अपील संख्या 2244 प्रस्तुत की। इस अपील में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 26.11.2015 के जरिये प्रार्थीगण द्वारा प्राप्त स्थगन आदेश को स्टे कर दिया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रश्नगत पट्टे को सही एवं विधि अनुसार जारी होना मानते हुये ही माननीय सिविल न्यायालय के समक्ष विभाजन सम्बन्धी वाद प्रस्तुत किया गया है जिसकी अपील माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में लम्बित है। प्रार्थीगण द्वारा इन तथ्यों को छुपाते हुये यह रिवीजन माननीय न्यायालय के समक्ष मिथ्या आधारों पर प्रस्तुत की गई है एवं विधि अनुसार भी जब प्रार्थीगण पूर्ववर्ती वाद में इस पट्टे को वैध होना स्वीकार कर रहे है तब ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण इस पट्टा को चुनौती देने के अधिकारी नही है एवं अपने पूर्व के कृत्य से विबन्धित है। ऐसी स्थिति में यह निगरानी प्रार्थीगण द्वारा कतई गलत एवं मिथ्या आधारो पर पूर्व की कार्यवाही को छुपाते हुये प्रस्तुत की गई होने के निरस्त फरमाई जाने योग्य है। अतः निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी अविधिक आधारों पर प्रस्तुत की गई होने से निरस्त फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पाया कि:– उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया और उद्घृत न्यायिक नजरों पर मनन किया गया।

1. प्रकरण में प्रथमतः विलम्ब के बिन्दू का निस्तारण किया जाना है। निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम 1963 का अवलोकन किया, इसमें निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र दिनांक 15.02.2016 के साथ अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम प्रस्तुत नहीं किया है। उक्त आवटन एक प्लाट न. 60 तारीख 11/04/88 ग्राम पंचायत इन्द्रगढ़ तह. संगरिया के संबंध में निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने तक की अवधि तक देरी का कारण स्पष्ट नहीं किया है। उक्त आवंटन 1988 से 2016 तक अठाईस वर्ष देरी से प्रस्तुत की गयी है। माननीय नजीर न्यायालय द्वारा समय–समय यह मत प्रतिपादित किया है कि विलम्ब माफी हेतु दिन–प्रतिदिन विलम्ब का कारण स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। अभिभाषक निगरानीकर्ता द्वारा लगभग 28 साल बाद उक्त आवंटन आदेश को निरस्त करने हेतु इस न्यायालय में निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की है, जिसका स्पष्ट कारण उल्लेख नहीं किया है। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना मियादि बाहरे है, अवधि में छूट पाने का हकदार नहीं है। ऐसी स्थिति में निगरानी प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है।

अतः निगरानी प्रार्थना पत्र मियाद अवधि से बाहिर होने के कारण निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेदी लाल मीना)
जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.12.03 12:14:31 IST
Reason: SelfAttested